राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 21.12.2025

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 275 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 470
दायर दिनांकः 04.10.2025

1. पवन कुमार पुत्र कालूराम जाति प्रजापत निवासी आबसर तहसील सुजानगढ़

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः 21.12.2025

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 ग्रामीण सेवा शिविर आबसर में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम हरासर के खाता संख्या 56 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में पवन पुत्र कालूराम दर्ज है। जो अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी का सही नाम पवन कुमार पुत्र कालूराम है। अन्य सरकारी दस्तावेज में नाम पवन कुमार पुत्र कालूराम ही अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पहचान दस्तोवजो यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड में प्रार्थी का सही नाम पवनकुमार पुत्र कालूराम अंकित है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम पवन के स्थान पर पवन कुमार किये जाने की अभिशंषा की गयी।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज छायाप्रति यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम पवन कुमार पुत्र कालूराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही हरासर तहसील सुजानगढ़ के खाता संख्या 56 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का नाम पवन पुत्र कालुराम के स्थान पर पवन कुमार पुत्र कालूराम दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्टियां तथा रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2025 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला–चूरू